संयुक्त निरीक्षण आख्या।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक :– 163/4सी0 दिनांक 25.01.2018 के अनुपालन में आज दिनांक 27.01.2018 को विंधिया टेली लिंक लिमिटेड ई0पी0सी0 डिजिटल इन्डेस्ट्रल ऐरिया मोहाली, पंजाब के द्वारा जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग एवं आदिबद्री मोटर मार्ग कुल लम्बाई–68.50 कि0मी0 में पोल के द्वारा हवा में केबिल लाइन डाले जाने हेतु अनुमति चाहने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में मार्ग की स्थिति के अनुसार आख्या विन्दुवार निम्नवत् है :–

1. लो0नि0वि0 के मार्ग पर पेंटिंग सतह छोड़ कर एवं पट्री के किनारे की ओर ही पोल गाड़ा जाय, ताकि यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।
2. मार्ग के संकरे स्थानों पर खड्ड साइड में मार्ग सीमा के अन्दर पोल गाड़ा जाय, ताकि मार्ग की चौड़ाई बाधित न हो।
3. धसने वाले स्थानों पर यथास्थान मार्ग की सुरक्षा एवं पोल गाड़े जाने का कार्य लो0नि0वि0 के देखरेख में किया जाय।
4. प्रत्येक पोल पर परावर्ती दूरदर्शक (रिफलेक्टर) लगाया जाना आवश्यक है, ताकि इस कारण कोई दुर्घटना न घटे।
5. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण/विस्तारीकरण एवं मार्ग के रख–रखाव कार्य के समय यदि अतिआवश्यकता हुई तो पोल सिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा।
6. पोल लगाते एवं केबिल डालते समय मार्ग से सम्बन्धि स्थाई संरचना, कल्वर्ट एवं सेतु को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाय।
7. पोल एवं हवा केबिल का कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का मलवा न छोड़ा जाय।
8. निर्माण कार्य से आरक्षित वन क्षेत्र से रेत, बजरी, पत्थर, लकड़ी एवं अन्य किसी वन उपज का दोहन नहीं किया जायेगा।
9. केबिल का कार्य कर रहे मजदूरों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में टेंट, तम्बू, छप्पर आदि नहीं लगाये जायेंगे।
10. कार्य कर रहे श्रमिको द्वारा भोजन बनाने हेतु आरक्षित वन क्षेत्र से इधन हेतु लकड़ी नहीं ली जायेगी।
11. निर्माण कार्य में उत्सर्जित मलवे को नदी/नालों में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
12. किसी भी प्रकार का आग को जलता हुआ नहीं छोड़ा जायेगा, ताकि इस कारण अग्नि दुर्घटना न हो।
13. कार्य कर रहे श्रमिको द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जानवरों का आखेट/नुकशान नहीं पंहुचाया जायेगा।
14. कार्य पूर्ण होने के पश्चात क्षेत्र से सभी औजार/छड़/तार/पौलीथीन तथा अन्य सामग्री को मौके से हटाया जायेगा।
15. विंधिया टेली लिंक लिमिटेड द्वारा मार्ग के जिस भाग में पोल गाड़ने एवं हवा केबिल बिछाने का कार्य किया जायेगा, उस समय मार्ग पर चल रहे यातायात को सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु स्वयं व्यवस्था की जायेगी।
16. मार्ग पर चल रहे यातायात के समय को देखते हुये पोल गाड़ने एवं हवा केबिल बिछाने का कार्य किया जाय।
17. कार्य के दौरान यातायात की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार साइन बोर्ड, कोशन बोर्ड एवं चैतावनी/सावधानी सूचक बोर्ड का प्रयोग अवश्य किया जाय।

27-01-2018

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र, गौचर

विंधिया टेली लिंक लिमिटेड	वनक्षेत्राधिकारी	सहायक अभियन्ता	थानाध्यक्ष
Vindhya Telelinks Limited, Punjab	माया लाल 27-1-18	27/1/18	कर्णप्रयाग
Kishore D. Manager 27-1-18	अनुभाग अधिकारी	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0	जिला 27/1/18
	केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर	गौचर (चमोली)	

Vindhya Telelinks Limited, Punjab

27/1/18